आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 1035/2023 (रिव्यू प्रार्थना पत्र)

श्रीमती रूकमणी देवी पत्नी श्री जगदीश नारायण विजयवर्गीय निवासी 56, माचेडा, आमेर।

प्रार्थी ऋणी

ए यू स्माल फाईनेन्स बैंक लि. (पूर्व ए यू फाइनेन्सर इण्डिया लि.) पंजीकृत कार्यालय 19 ए पूलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड जयपुर ।

अप्रार्थी बैंक

रिव्यु प्रार्थना पत्र विरूद्ध एक तरफा आदेश दिनांक 01.08.2023
अन्तर्गत धारा 14 सरफेशी अधिनियम 2002

उपस्थित–

1. श्री राहुल राय फतेहपुरिया अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री राम नरेश विजय अधिवक्ता प्रार्थी बैंक की ओर से ।

दिनांक 12.02.2024

आदेश

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी अधिवक्ता ने इस न्यायालय में धारा 14 सरफेशी एक्ट के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 453/2023 (किस्म धारा 14 सरफेशी एक्ट) ब उनवानी ए यू स्माल फाईनेन्स बैंक लि. (पूर्व ए.यू. फाइनेन्सर इण्डिया लि.) बनाम मैसर्स विजयवर्गीय डिपार्टमेन्टल स्टोर में पारित आदेश दिनांक 01.08.2023 को निरस्त/रिकाल किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।
2. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी वित्तीय संस्था को नोटिस जारी किया गया। मूल मिसल शामिल की गई। अप्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से वकील श्री राम नरेश विजय ने उपस्थित होकर वकालतनामा व दस्तावेज पेश किये।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई ।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि बंधक सम्पत्ति 56 ब्रज कालोनी, ग्राम माचडा, तहसील आमेर जिला जयपुर जो कि रूकमणी देवी पत्नी श्री जगदीश नारायण विजयवर्गीय की है। अन्य पक्षकार सोनी विजयवर्गीय पत्नी श्री राम विजयवर्गीय एवं रूकमणी देवी पत्नी श्री जगदीश नारायण है जबकि बैंक द्वारा इनकी वल्दीयत गलत अंकित की गई। रूकमणी विजयवर्गीय पत्नी श्री जगदीश नारायण जो कि उक्त सम्पत्ति की एक मात्र स्वामी है तथा वर्ष 2005 से अपने परिवार के साथ निवास करतीआ रही है। प्रार्थी ने आज दिन तक कभी भी उक्त सम्पत्ति पर ए यू फाईनेन्स से अथवा किसी अन्य वित्तीय संस्था से लोन नहीं लिया है और ना ही कभी उक्त सम्पत्ति की गारन्टी किसी भी लोन में दी गई है। प्रार्थी की पुत्रवधु सोनू विजयवर्गीय पत्नी श्री राम विजयवर्गीय ने वर्ष 2018 में ए यू स्माल फाईनेन्स बैंक से

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

20,00,000/–रूपये का लोन लिया था उक्त लोन को बाद मे 15,00,000/– रूपये से टाप अप भी करवाया था। इस तरह कुल मिला कर 35,00,000/– रूपये का लोन प्रार्थी की पुत्रवधु सोनू विजयवर्गीय ने लिया था। उक्त लोन को सिक्योर करने के लिए श्रीराम विजयवर्गीय के स्वामित्व के प्लाट नम्बर 32 व 33, श्री गुरू देव विस्तार डीगडवाडा जयपुर के असल कागजात बैंक के रिप्रजेन्टेटिव अशोक पारीक को जमा करवाये थे। प्रार्थी ने आज दिन तक कभी भी उपरोक्त प्लाट 56 माचेडा आमेर जयपुर के कागज उक्त लोन को सिक्योर करने की लिए नहीं लिए थे जबकि वास्तव में अशोक पारीक प्रार्थी का पडोसी होने के कारण प्रार्थी की पेंशन शुरू करवाने के नाम से प्रार्थी के उपरोक्त प्लाट 56 का असल पट्टा तथा प्रार्थी के अन्य के वाई सी दस्तावेज लेकर गया था तथा प्रार्थी की अधिक उम्र का नाजायज फायदा उठाते हुए उक्त असल पट्टा स्वयं के पास रख लिया तथा प्रार्थी को उक्त पट्टे की रंगीन फोटो प्रति वापस कर दी। जो कि अशोक पारीक के उक्त कृत्य के लिए पुलिस थाना हरमाडा जयपुर मे प्रकरण संख्या 23/2023 अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी, दर्ज है। जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा अशोक पारीक की जमानत याचिका खारिज फरमा दी गई। लोन को चुकाने के लिए सोनू विजयवर्गीय ने बैंक के प्रतिनिधि अशोक पारीक एवं अन्य के साथ एक राजीनामा दिनांकित 15.09.2023 तादादी 30,00,000/–रूपये में पुलिस के जांच अधिकारी के समक्ष किया तथा उक्त राजीनामें के पेटे 6,00,000/–रूपये भी श्री अशोक पारीक को दे कर रसीद प्राप्त की। सोनू विजय वर्गीय बची हुए रकम 24,00,000/–देने का तत्पर है, परन्तु बैंक के रिप्रजेन्टेटिव अशोक पारीक की दुर्भावना प्रार्थी की उक्त सम्पत्ति को कम दाम में हडपने की है जिसकी वजह से उक्त सम्पत्ति जो कि आज दिनांक कभी गिरवी रखी ही नही गई, को धोखे से गलत नाम पते के मान्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर मान्य न्यायालय को गुमराह कर उपरोक्तः आदेश दिनांक 15.09.2022 पारित करवा लिया । जो निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी रूकमणी देवी एक वरिष्ठ महिला है तथा शिक्षित महिला है एवं आंगनबाडी से रिटायर्ड कर्मचारी है जो स्वयं पढने लिखने एवं हस्ताक्षर करने में सक्षम है जबकि बैंक ने जो लोन दस्तावेज प्रस्तुत किये है उन पर प्रार्थी कहीं भी हस्ताक्षर नहीं है, बल्कि उन दास्तावेजों पर प्रार्थी के अंगूठे के निशान लगे हुए है । अतः रिव्यु प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिनांक 01.08.2023 को पारित आदेश को अपास्त किया जावे।

5- बैंक के प्रतिनिधि ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि सरफेशी अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रस्तुत दस्तावेजात में केवल शपथ पत्र व अन्य सहयोगी दस्तावेज की आवश्यकता होती है। अप्रार्थी को धारा 13 (2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है व दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया गया है। धारा 14 के तहत पारित आदेश विधि सम्मत है। धारा 14 के तहत पारित आदेश के विरूद्व धारा 17 में अपील किये जाने का प्रावधान है । मान्य न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। फलस्वरूप रिव्यु प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

6. उभय पक्ष द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. वित्तीय संस्था द्वारा धारा 14 सरफेसी एक्ट 2002 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया था। जिस पर विधिवत प्रकिया अपनाते हुये अप्रार्थी के स्वामित्व की सम्पत्ति जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिनांक 01.08.2023 को पारित किये जा चुके है। सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत पारित आदेश में रिव्यू किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। ऋणी द्वारा जो बिन्दू रिव्यु प्रार्थना पत्र में उठाये गये है उनको तय किये जाने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थी का रिव्यु/रिकाल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

8. निर्णय की प्रति हस्च कायदा संबंधित को जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

9. आदेश आज दिनांक 12.02.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर